

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत भागीदारी फर्मों के पंजीयन की मार्गदर्शिका

1. भागीदारी फर्म हेतु कम से कम दो भागीदारों का होना आवश्यक है।
2. फर्म के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-1) पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
3. आवेदन पत्र में फर्म का नाम, मुख्य कारोबार का पूर्ण पता जैसा कि डीड में अंकित हो (पत्राचार में सुगम हो) अंकित किया जाना चाहिए।
4. अन्य कारोबार का स्थान यदि कोई हो तो डीड अनुसार अंकित किया जाना चाहिए। नहीं होने की स्थिति में निरंक अंकित किया जाना चाहिए।
5. आवेदन प्रपत्र-1 में साझेदारों के नाम, पिता/पति का नाम, साझेदारों का पूर्ण पता व शामिल होने की तिथि प्रत्येक साझेदार का पृथक-पृथक अंकित होना चाहिए।
6. फर्म की अवधि इच्छानुसार (Atwill) अंकित होना चाहिए।
7. आवेदन प्रारूप-एक में सभी साझेदारों के संयुक्त हस्ताक्षर होना चाहिए तथा प्रत्येक साझेदारों में पृथक-पृथक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र होना चाहिए।
8. साझेदारों के संयुक्त हस्ताक्षर व पृथक-पृथक घोषणा को चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। फर्म के पंजीयन हेतु 551/- रुपये का चालान लेखा शीर्ष -“1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 200- अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन” में जमा किया जाना चाहिए। चालान की राशि ई-चालान अथवा ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
9. प्रत्येक साझेदारों का फोटोयुक्त परिचय पत्र (आधार कार्ड) तथा पता पुष्टि का अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
10. फर्म की रचना हेतु बनाये गये डीड (साझेदारी विलेख) की प्रति चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
11. यदि फर्म की रचना पूर्व वर्षों की है तो किसी भी एक साझेदार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि फर्म की रचना उक्त (पूर्व) वर्षों में नहीं करायी गयी है। फर्म पंजीयन हेतु प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है।

12. भागीदारी फर्म के विलेख (डीड) तैयार करते समय 50,000/- रुपये मूल्य तक का नगद अंशपूंजी पर 1000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क देय होगा तथा ऊपर की राशि पर अंशपूंजी का 2 प्रतिशत स्टाम्प देय होगा जो अधिकतम 5000/- रुपये तक की होगी।
13. फर्म में अंशपूंजी यदि सम्पत्ति, भूमि, भवन, मशीनरी आदि के रूप में लगाया जाता है तो बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होगा।
14. कारोबार के पते की पुष्टि हेतु पते पुष्टि का प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए।